

महोदय जी,

रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि.

निर्वाहक हैं कि ग्राम - प्रतापपुरा जमा.संवत् 2073-76  
खता सं. 3 में रदन - बू.चि.सं. ग्रा. बैंक शाखा बोरख दर्ज  
रखा है। जबकि शाखा प्रबंधक व. राज. सं. ग्रा. बैंक शाखा  
बोरख के अनुसार उक्त बैंक का नाम परिवर्तित होकर व. राज.  
सं. ग्रा. बैंक शाखा बोरख के हां.गया है। अतः रदन - बू.चि. सं.  
ग्रा. बैंक शाखा बोरख के बजाय रदन - व. राज. सं. ग्रा. बैंक  
शाखा - बोरख किमा जाग उचित है।

सुमेल  
पत्र 16/07/18  
गोपनीय  
01/08/18

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

रिपोर्ट पटवारी हटिका / 222 बोरख के अनुसार जमाबंदी खाते में दर्ज  
बू.चि.सं. 3 क्षेत्रिय ग्रामीण शाखा बोरख का नाम शाखा प्रबंधक  
बोरख द्वारा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैंक शाखा  
बोरख दर्ज करना प्रस्तावित है।

आदेश

तहसीलदार (भू.अ.)  
रावतनाथ

आ.पत्र 146/18  
16/07/18

दृष्टव शय तहसीलदार रावतनाथ के आदेश पर ग्राम  
प्रतापपुरा कि जमाबंदी संवत् 2073-76 के खाता सं. 3 में बू.चि.  
सं. ग्रा. बैंक शाखा बोरख के बजाय व. राज. सं. ग्रा. बैंक शाखा बोरख  
दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते हैं।

*(Signature)*